FORM N0. III

फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत अतिरिक्त संभागीय आयुक्त मुकाम अजमेर

गोपाल लाल व अन्य बनाम श्रीमती हीरू व अन्य

किस्म मुकदमा /नजरसानी प्रा.पत्र/नं0 12/सन् 2020 जिला भीलवाडा

(2020/00012)

तारीख हुक्म	हुक्म व कार्यवाही मय इनिशियल्स जज (2020/) श्री गौतम चंद टांक अ.अभि. श्री गोविन्द शर्मा रेस्पो.अभि.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21.01.2020	नजरसानी प्रार्थना पत्र अभिभाषक गौतम चंद टांक द्वारा प्रस्तुत किया गया। जो दर्ज किया जावें। प्रार्थना पत्र की प्रति रेस्पोडेन्ट अभिभाषक को दिलाई गई। चूंकि उभय पक्ष (अपीलान्ट व रेपोडेन्ट) के अभिभाषकगण उपस्थित होने के कारण नोटिस जारी करने का कोई औचित्य नही रह जाता है। इसलिए रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किया जाना उचित नही समझते है। प्रार्थना पत्र पर दोनों पक्षों के अभिभाषकों के अनुरोध पर आज ही बहस सुनी गई । बहस के दौरान अपीलान्ट अभिभाषक ने कथन किया कि प्रकरण के अन्तर्गत माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थीगण की कायम मुकाम कार्यवाही के दौरान सहवनवश मानवीय त्रुटि के कारण अपीलान्ट/प्रार्थीया की मृत्यु प्रमाण पत्र की जगह अन्य का मृत्यु प्रमाण पत्र की कॉपी पेशी हो गयी थी जो कि रिव्यू प्रार्थना पत्र का मुख्य आधार है न्यायहित एवं प्रार्थीया के वारिसानों के कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिये तथा विधिक तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए एवं प्रार्थीया के कानूनी हितो को ध्यान मे रखते हुए प्रार्थीया की नानी का मृत्यु प्रमाण पत्र रेकार्ड पर लेते हुए प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णय पारित करने का आदेश प्रदान करना चाहिए था किन्तु माननीय न्यायालय ने सरसरी तौर पर ही नजरसानीधीन आदेश पारित करने मे भूल की है। बहस के दौरान यह भी कथन किया गया कि प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा कायम मुकाम कार्यवाही में प्रार्थीया मृतक नानी के मृत्यु प्रमाण पत्र की बजाय अन्य व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र सहवनवश प्रस्तुत होना एक तकनीकी त्रुटि है जो कि रिव्यू के माध्यम से तकनीकी त्रुटि है, को कानूनी रूप से संशोधन किया जाकर उपरोक्त प्रकरण को गुणावगुण पर नये सिरे से निर्णय पारित करने के आदेश न्यायहित में पारित किया जावे ताकि प्रार्थीगण के साथ उचित न्याय हो सके। • प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों व प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया एवं बहस पर गनन किया। चूंकि अपील संख्या 124/2015 (2015/00014) में गलत मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न होने के तकनीकी आधार पर न्यायालय हाजा द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.01.2020 से अपीलान्ट की अपील खारिज कर दी गई। चूंकि हस्तगत प्रार्थना पत्र द्वारा सही अपीलान्ट का मृत्यु प्रमाण पत्र पेश किये जाने के कारण तथा वाद की बहुलता को रोकने हेतु अपीलान्ट की अपील का गुणावगुण के आधार पर निर्णय लिया जाना उचित समझते है। अतः हम धारा 151 सी.पी.सी. में दिये गये न्यायालय की अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए न्यायहित में नजरसानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझते है। नजरसानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मूल पत्रावली नम्बर पर लिये जानें के आदेश दिये जाते है । अतिरिक्त संभागीय आयुक्त अजमेर	

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Sattar Khan
Date: 2020.02.10 12:23:10 IST
Reason: SelfAttested